कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1472/11–सी–अलीगढ़/14131/2015 लखनऊ, दिनांकः जनवरी 22,2019

सेवा में

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः–अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.100 के दायीं पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–2224/14–1, दिनांक 09.01.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रभागीय निदेशक द्वारा भ्रामक सूचना के साथ विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा उनके द्वारा उल्लंघन के तथ्य को छिपाया गया है जोकि भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमों की अवलेहना की श्रेणी में आता है। इसका परीक्षण आपके स्तर से भी नहीं किया गया है। के0एम0एल की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं अथवा प्रभागीय निदेशक से निरीक्षण कराकर स्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित स्थल की फोटोग्राफ संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तथा दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण एक सप्ताह के अन्दर 03 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.06.2016 द्वारा प्रस्ताव में कतिपय अभिलेख/सूचनायें पूर्ण करने हेतु आपको पत्र लिखा गया। प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा 08 माह बाद दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त किया गया। उसके पश्चात आप द्वारा दिनांक 30.06.2017 को इस कार्यालय को पत्र लिखा गया जिसमें परीक्षण करने पर कमियों को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.07.2017 को पत्र लिखा गया। लगभग एक वर्ष छः माह आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या–2224/14–1 दिनांक 09.01.2019 से इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2019 को प्रस्ताव की हार्डकॉपी प्राप्त हुई हैं। प्रस्ताव की हार्डकॉपी का पुनः परीक्षण किया गया, जिसमें अभिलेखों की कमियॉ पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि अभिलेख हटा दिये गये हैं या फिर बदल दिये गये हैं।

भारत सरकार की टाइम लाइन के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रस्ताव लगभग 04 माह 15 दिन वन संरक्षक के स्तर पर तथा लगभग 11 माह 15 दिन प्रभागीय निदेशक के स्तर पर लम्बित रहा जबकि भारत सरकार की टाइम लाइन के अनुसार वन संरक्षक को 10 दिनो के अन्दर तथा प्रभागीय निदेशक को 30 दिनो के अन्दर कार्यवाही की जानी होती है, किन्तु फिर भी आपके एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्यवाही नहीं की गयी। अतः आप अपने स्तर से छानबीन करें कि किस स्तर पर लापरवाही की गयी। इस पर भी विलम्ब के कारणों को स्पष्ट किया जाय तथा उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी है:–

1– प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य संलग्न नहीं किया गया है।

2– रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित की जानी है, उसकी सत्यापित खतौनी संलग्न नहीं है।

भारत सरकार के पत्रांक–11–268/2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

4– के0एम0एल0 फाईल त्रुटिपूर्ण हैं। उसमें non-forest Land स्थिति नहीं है। साथ ही forest Land भी गलत दर्शायी गयी है।

कृपया सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव में प्रत्येक पृष्ठ पर वर्तमान प्रभागीय निदेशक ~~Conformation~~ countersign करें तथा आप भी अपनी आख्या संस्तुति भी देना सुनिश्चित करें क्योंकि प्रस्ताव काफी पुराना है तथा जिन अधिकारियों का मामला है वे वर्तमान में तैनात नहीं है।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉं तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1972/11–सी–अलीगढ़/14131/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, ~~अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़~~।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
4– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए–5 सैक्टर–3, नोएडा।

OLC

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय
वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
पत्रांक 2471 /14-1 दिनांक 28-01-19

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक सा0 वा0 प्रभाग अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ... [illegible] ... मूल पत्रावली ... [illegible] ... करें।

वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

28/1/19

Dlman
आ0का0 करें

प्रभागीय निदेशक
28/1/19